CNR No- UPMH1200- 2859- 2026

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा, जनपद- महराजगंज

प्रकीर्ण वाद संख्या- 209/ 2026

मुरली बनाम गोरख यादव आदि

दिनाँक- 12- 06- 2026

निस्तारण प्रार्थना पत्र धारा- 173(4) बी. एन. एस. एस.

पत्रावली आदेशार्त पेश हुई। आवेदक के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र धारा- 173(4) बी. एन. एस. एस. पर सुना जा चुका है।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बी. एन. एस. एस. प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि प्रार्थी का लड़का प्रमोद कुमार व प्रार्थी के रिश्तेदार का लड़का चौथी पुत्र रामदयाल शर्मा निवासी फरेन्दा खुर्द व मेरे गांव के बजरंगी पुत्र दयाराम दिनांक 21. 05. 2026 को रात मे करीब 8. 30 बजे गांव के उत्तर पुलिया के तरफ शौच के लिए जा रहे थे कि वही पर पुलिया पर बैठकर मेरे गांव के गोरख यादव पुत्र प्रकाश यादव व अरविन्द यादव पुत्र रामसन्त यादव दोनो लोग शराब पी रहे थे हमारे लड़के प्रमोद को देखते ही बिना किसी कारण के गंदी गंदी गाली माँ बहन की गाली गुप्ता देने लगे, मेरा लड़का गाली देने से मना किया तो उपरोक्त गोरख यादव ने धमकी देते हुए कहा कि हम तुम्हे अभी पिटवा रहे है इतना कहते ही उसने फोन करके मेरे गांव के निवासी अखिलेश यादव पुत्र बसन्त यादव को बुलाया जो यू०पी० 56 ए०वी० 6127 बोलोरो जिसपर उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड लगा था जिसपर चार अज्ञात व्यक्ति बैठे थे सब लोग गाड़ी से उतरते ही उपरोक्त गोरख यादव, अरविन्द यादव व अखिलेश यादव जो मेरे ही गांव के निवासी है तथा चार लोग अज्ञात जिनका नाम पता नही जानते है प्रार्थी के लड़के प्रमोद कुमार को माँ बहन बेटी की गन्दी गन्दी गाली गुप्ता देते हुए लात मुक्का डण्डा से मारने लगे जिससे मेरे लड़के प्रमोद को काफी चोटे आयी है, अखिलेश यादव ने मेरे लड़के प्रमोद के गले मे पहना हुआ सोने का चेन तथा हाथ मे पहना सोने की ब्रेसलेट जिसकी जुमला कीमत 150000/ - रूपये है को छीन लिए तथा कहे कि साले हम लोग तुम्हे जान से मारकर खत्म कर देगे। प्रार्थी ने अपनी चोटो का डाक्टरी मुलाहिजा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फरेन्दा मे कराया तथा घटना की सूचना थाना बृजमनगंज में दिया परन्तु प्रार्थी का रपट दर्ज नही हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 27. 05. 2026 को घटना के बावत सूचना पुलिस अधीक्षक, महराजगंज को जरिए रजिस्ट्री दिया, परन्तु प्रार्थी की रपट नहीं हुई।

थाने से आख्या आहूत की गई। थाने से प्राप्त आख्यानुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

आवेदक द्वारा कथन के समर्थन में अपने आधार कार्ड की छायाप्रति, पुलिस अधीक्षक महराजगंज को भेजे गए प्रार्थना पत्र का छायाप्रति, मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति दाखिल किया गया है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 21. 05. 2026 को रात मे करीब 8. 30 बजे उसके लड़के प्रमोद को देखते ही बिना किसी कारण के गंदी- गंदी गाली देने लगे, लड़के द्वारा गाली देने से मना किया तो उपरोक्त गोरख यादव ने धमकी देते हुए फोन करके गांव के निवासी अखिलेश यादव पुत्र बसन्त यादव को बुलाया जो यू०पी० 56 ए०वी० 6127 बोलोरो जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड लगा था जिसपर चार अज्ञात व्यक्ति बैठे थे सब लोग गाड़ी से उतरते ही उपरोक्त गोरख यादव, अरविन्द यादव व अखिलेश यादव जो मेरे ही गांव के निवासी है तथा चार लोग

अज्ञात जिनका नाम पता नही जानते है प्रार्थी के लड़के प्रमोद कुमार को माँ- बहन बेटी की गन्दी गन्दी गाली गुप्ता देते हुए लात मुक्का डण्डा से मारने लगे जिससे उसके लड़के प्रमोद को काफी चोटे आयी है, अखिलेश यादव ने उसके लड़के प्रमोद के गले मे पहना हुआ सोने का चेन तथा हाथ मे पहना सोने की ब्रेसलेट जिसकी जुमला कीमत मु. - 150000/ - रूपये है, को छीन लिए तथा कहे कि साले लोग तुम्हे जान से मारकर खत्म कर देगे। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 21- 05- 2026 को दोनों पक्षों में बीच हुई पुरानी फोन रिकार्डिंग की बात को लेकर कहा- सुनी हुई, जिसमें दोनों पक्षों को गिरफ्तार करके कार्यवाही अन्तर्गत धारा- 170/ 126/ 135 BNSS की गयी। पत्रावली पर आवेदक द्वारा चोटहिल प्रमोद मुरलीधर शर्मा की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गयी है। प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण पर लगाए गए आरोपों की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह मत है कि उक्त घटना से संबंधित सभी घटना क्रम की भलीभांति जानकारी प्रार्थी को है एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपने साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा मामले की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए **रामबाबू गुप्ता प्रति स्टेट आफ यूपी 2001 (1) ए. सी. सी. - 50 तथा सुखवासी बनाम स्टेट आफ यू. पी. (2007- AHC- 1195- DB)** में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयन विधि के सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

मामला परिवाद के रूप में दर्ज हो। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 223 के आलोक में परिवादी का बयान अन्तर्गत धारा- 223 हेतु पत्रावली दिनांक- 23- 07- 2026 को पेश हो।

(विश्वनाथ प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, फरेन्दा
जनपद- महराजगंज
J. O. Code- UP3359

Digitally signed by VISHWANATH PRATAP SINGH
Date: 2026.07.10 11:07:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court